No. I-27011/01/2014-Coord.(Pt.II)

November 07 , 2014

Dear

Kindly refer to your letter No. 502/1/2/2014-CA.V dated 5th August, 2014 regarding information to be included in the monthly D.O letters on significant developments.

2. Important developments relating to Ministry of Corporate Affairs during the month of October, 2014 are as under:

Amendments were made to the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, by which intermediate wholly owned subsidiaries were exempted from the requirement of consolidating their financial statement, and auditors were given one year's additional time to report on efficacy of internal financial controls. Modifications were also made to Schedule VII to incur CSR expenditure towards "Swach Bharat Kosh' and "Clean Ganga Fund".

3. Information on important developments relating to Ministry of Corporate Affairs during the month of September, 2014 have already been furnished to the Cabinet Secretariat in the prescribed format.

Regards,

Yours sincerely,

Sd/-
(Naved Masood)

Shri Ajit Seth,
Cabinet Secretary,
Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan,
New Delhi

Copy to:
1. Shri Nripendra Misra, Principal Secretary to the Prime Minister, South Block, New Delhi
2. PS to FM/CAM
3. PS to Mos(CA)

Sd/

(Naved Masood)

Format for providing monthly information
(Ministry of Corporate Affairs)

1. Important policy decisions taken and major achievements during the month of October, 2014.

Important developments relating to Ministry of Corporate Affairs during the month of October, 2014 are as under:

Amendments were made to the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, by which intermediate wholly owned subsidiaries were exempted from the requirement of consolidating their financial statement, and auditors were given one year's additional time to report on efficacy of internal financial controls. Modifications were also made to Schedule VII to incur CSR expenditure towards "Swach Bharat Kosh' and "Clean Ganga Fund".

2. Important matters held up on account of prolonged inter-ministerial consultations.

Nil.

3. Compliance of Cabinet/Cabinet Committee:

No. of Cabinet/Cabinet Committee decisions pending for compliance	Proposed action plan/time lines for compliance of decisions	Remarks
NIL		

4. Compliance of CoS decisions:

No. of CoS decisions pending for compliance	Proposed action plan/time lines for compliance of decisions	Remarks
NIL		

(A.H. Agarwal)

5. No. of cases of sanction for prosecution pending for more than three months:

Nil

6. Particulars of cases in which there has been a departure from the Transaction of Business Rules or established policy of the Government

NIL

7. Status of implementation of e-Governance:

Total No. of files	Total No. of e-files.
12337	2271*

*Number of files show are files dealt through MCA21. MCA21 is a mission mode project of Ministry of Corporate Affairs enabling e-based filing of all the application/documents/ petitions.

8. Status of Public Grievances:

No. of Public Grievances redressed during the month	No. of Public Grievances pending at the end of month
97	1779

(A.H. Agarwal)

तत्काल

सं. आई-27011/1/2014-समन्वय
भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

शास्त्री भवन, ए विंग, 5वां तल,
डा. आर. पी. रोड, नई दिल्ली-110001
18 नवंबर, 2014

विषयः मंत्रियों/सचिवों की परिषद के लिए मासिक सार - कारपोरेट कार्य मंत्रालय

संदर्भः मंत्रिमंडल सचिवालय का दिनांक 05 अगस्त, 2014 का अ.शा. पत्र संख्या 502/1/2/2014-सीए V

अक्तूबर, 2014 के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की मासिक सूचना देने के लिए मासिक अ.शा. पत्र की एक प्रतिलिपि और नया प्रपत्र आपकी सूचना हेतु संलग्न किया जा रहा है।

(आनन्दहरि अग्रवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23389782

संलग्नः यथोक्त
मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि संलग्नक सहित प्रेषितः

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, नई दिल्ली, मंत्रिमंडल सचिवालय।
3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
9. सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव शहरी विकास विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
12. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
14. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(ii) सचिव के प्रधान स्टाफ अधिकारी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषितः निदेशक (एनसी) - एमसीए वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

(आनन्दहरि अग्रवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार

संख्या आई-27011/01/2014-समन्वय(पार्ट II)

नवंबर, 2014

प्रिय

कृपया दिनांक 05 अगस्त, 2014 के अपने पत्र संख्या 502/1/2/2014-सीए V का अवलोकन करें जो महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में मासिक अर्धशासकीय पत्रों में शामिल की जाने वाली सूचना के बारे में है।

2. अक्तूबर, 2014 के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं:

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 और कंपनी (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम, 2014 में संशोधन किए गए, जिसके द्वारा पूर्णस्वामित्व वाली अनुषंगियों को अपना वित्तीय विवरण समेकित करने की अपेक्षा से छूट दी गई, और लेखापरीक्षकों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रभावकारिता पर रिपोर्ट देन के लिए 1 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया। "स्वच्छ भारत कोष" और "स्वच्छ गंगा कोष" में सीएसआर व्यय के लिए अनुसूची VII में भी संशोधन किए गए।

3. सितंबर, 2014 माह के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना मंत्रिमंडल सचिवालय को निर्धारित प्रपत्र में पहले ही भेज दी गई है।

आपका,

(नवेद मसूद)

श्री अजित सेठ, मंत्रिमंडल सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. श्री नृपेन्द्र मिश्रा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. वित्त मंत्री/कारपोरेट कार्य मंत्री के निजी सचिव

(नवेद मसूद)

मासिक सूचना देने हेतु प्रपत्र

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

1. अक्तूबर, 2014 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीति निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

अक्तूबर, 2014 के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं:

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 और कंपनी (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम, 2014 में संशोधन किए गए, जिसके द्वारा पूर्णस्वामित्व वाली अनुषंगियों को अपना वित्तीय विवरण सगेकित करने की अपेक्षा से छूट दी गई, और लेखापरीक्षकों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रभावकारिता पर रिपोर्ट देन के लिए 1 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया। "स्वच्छ भारत कोष" और "स्वच्छ गंगा कोष" में सीएसआर व्यय के लिए अनुसूची VII में भी संशोधन किए गए।

2. कुछ समय से चल रहे अंत मंत्रालय विचार-विमर्श के कारण विलंबित महत्वपूर्ण मामले

शून्य

3. मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समिति का अनुपालनः

मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समिति निर्णयों की संख्या जो अनुपालन हेतु लंबित हैं	निर्णयों के अनुपालन हेतु प्रस्तावित कार्य योजना/निर्धारित समय	अभ्युक्तियां
शून्य		

4. सचिव समिति निर्णयों का अनुपालनः

सचिव समिति निर्णयों की संख्या जो अनुपालन हेतु लंबित हैं	निर्णयों के अनुपालन हेतु प्रस्तावित कार्य योजना/निर्धारित समय	अभ्युक्तियां
शून्य		

5. अभियोजन के लिए स्वीकृति के मामलों की संख्या जो तीन माह से अधिक लंबित हैः

शून्य

6. मामलों का ब्यौरा जिनमें कार्य संव्यवहार नियम अथवा सरकार की स्थापित नीति से विचलन हुआ हो

शून्य

7. ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन की स्थिति

कुल फाइलों की संख्या	कुल ई-फाइलों की संख्या
12337	2271*

* यहां दर्शाएं गए फाइल एमसीए21 के माध्यम से निपटाए गए। एमसीए21 सभी आवेदनों/दस्तावेजों/ याचिकाओं की ई-फाइलिंग समर्थ करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की एक मिशन मोड परियोजना है।

8. लोक शिकायतों की स्थितिः

माह के दौरान निपटाई गई लोक शिकायतों की संख्या	माह के अंत तक लंबित लोक शिकायतों की संख्या
97	1779

(आनन्दहरि अग्रवाल)